

न्यायालय—अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी

समक्ष—श्रीमती वंदना राज पांडेय

विविध आपराधिक प्रकरण क्र.43 / 2009
संस्थित दिनांक— 02.12.2009

1. प्रेमलताबाई पति राजेन्द्र पाल,
आयु—38 वर्ष, व्यवसाय—गृहकार्य,
निवासी 63/2 लाबरिया भैरू, भाटी
पेट्रोल पंप के सामने इंदौर, जिला इंदौर
हाल मुकाम अंजड़, जिला बड़वानी
2. अश्विनी पिता राजेन्द्र पाल,
आयु—17 वर्ष,
3. दामिनी पिता राजेन्द्र पाल,
आयु—11 वर्ष,
4. अंशुमन पिता राजेन्द्र पाल,
आयु—6 वर्ष,

तीनों अवयस्क जनक माता प्रेमलताबाई पति
राजेन्द्र पाल

.....प्रार्थीगण

वि रू द्ध

राजेन्द्र पिता नाथुरामजी (नानुराम) पाल,
आयु—51 वर्ष, व्यवसाय—टेलरिंग,
निवासी 63/2 लाबरिया भैरू, भाटी
पेट्रोल पंप के सामने इंदौर, जिला इंदौर

.....प्रतिप्रार्थी

प्रार्थीगण द्वारा	— श्री आर.के. श्रीवास अधिवक्ता ।
प्रतिप्रार्थी द्वारा	— श्री बी.के. सत्संगी अधिवक्ता ।

—: आ दे श :-

(आज दिनांक 30/12/2015 को पारित)

1. इस आदेश के द्वारा प्रार्थीगण के आवेदन धारा-125 द.प्र.सं. दिनांक 02.12.09 का निराकरण किया जा रहा है, जिसके माध्यम से प्रार्थी क्रमांक 1 ने प्रतिप्रार्थी को स्वयं का पति तथा प्रार्थी क्रमांक 2 से 4 ने प्रतिप्रार्थी को अपना पिता बताते हुए प्रार्थी क्रमांक

1 को प्रतिमाह भरण-पोषण हेतु 2,000/-रुपये (अक्षरी दो हजार रुपये) तथा शेष प्रार्थीगण को प्रतिमाह रुपये 1,000-1,000/-रुपये (अक्षरी एक-एक हजार रुपये) कुल 5,000/-रुपये (अक्षरी पांच हजार रुपये) प्रतिमाह भरण-पोषण की राशि दिलवाये जाने की प्रार्थना की गयी है ।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रार्थी क्रमांक 1 प्रतिप्रार्थी की पत्नी है तथा शेष प्रार्थीगण प्रतिप्रार्थी की संताने हैं । यह तथ्य भी स्वीकृत है कि प्रार्थी क्रमांक 1 का विवाह प्रतिप्रार्थी से आवेदन संस्थित करने की दिनांक से 12 वर्ष पूर्व हुआ था तथा प्रार्थी क्रमांक 1 प्रतिप्रार्थी के साथ इंदौर में पत्नी के रूप में निवास करती है। प्रकरण में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थीगण के पक्ष में अंतरिम भरण-पोषण का आदेश माननीय कुटुम्ब न्यायालय इंदौर द्वारा दिनांक 04.05.10 को पारित किया था, जिसमें प्रार्थीगण को संयुक्त रूप से 2,500/-रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण अदा करने के लिये आदेशित किया गया था, उक्त आदेश के पालन में न्यायालय द्वारा दिनांक 18.08.10 को प्रतिप्रार्थी को प्रार्थीगण को उक्त राशि अंतरिम भरण-पोषण के रूप में अदा करने के लिये आदेशित किया था, लेकिन प्रतिप्रार्थी ने प्रकरण चलने के दौरान प्रार्थीगण को अंतरिम भरण-पोषण के रूप में कोई भी राशि आज दिनांक तक अदा नहीं की है, अतः न्यायालय द्वारा दिनांक 13.02.15 को प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार करते हुए प्रतिप्रार्थी का साक्ष्य प्रस्तुति एवं बचाव का अधिकार समाप्त कर दिया है ।

3. प्रार्थीगण का उक्त आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि शादी के बाद प्रार्थी क्रमांक 1 को प्रतिप्रार्थी से 3 संताने उत्पन्न हुई, जो प्रार्थी क्रमांक 2, 3 एवं 4 हैं तथा उक्त संतानें वर्तमान में प्रार्थी क्रमांक 1 के साथ में निवास कर रही हैं । शादी के बाद से प्रतिप्रार्थी ने प्रार्थी को कुछ समय तक अच्छे से रखा, फिर बाद में शराब पीकर प्रार्थी क्रमांक 1 के साथ मारपीट करता था तथा अपने व्यवसाय के लिये मशीनें खरीदने के लिये धनराशि की मांग प्रार्थी क्रमांक 1 से करता था । प्रार्थी क्रमांक 1 द्वारा कई बार अपने भाई, बहनों से प्रार्थी को रुपये लाकर दिये, लेकिन प्रतिप्रार्थी रुपयों को अपनी बुरी आदतों जैसे शराब पीना, जुआ, सट्टा खेलने में खर्च करता था । प्रतिप्रार्थी कई बार प्रार्थी क्रमांक 1 को मारपीट कर घर से निकाल देता था, लेकिन प्रार्थी क्रमांक 1 अपने बड़े भाई और माता-पिता के समझाने पर प्रतिप्रार्थी के साथ अपना पत्नी धर्म निभाती रही । प्रार्थी क्रमांक 2 के जन्म के बाद प्रतिप्रार्थी ने कहा कि उसे लड़की की आवश्यकता नहीं है, बच्ची को जहर का इंजेक्शन देकर मार डाले और दूसरी पुत्री का जन्म होने पर भी प्रतिप्रार्थी ने कहा कि उसे पुत्र की आवश्यकता है । उक्त दोनों ही डिलेवरियों का खर्च प्रार्थी क्रमांक 1 के भाई, बहनों ने वहन किया । प्रार्थी क्रमांक 1 की तीसरी संतान पुत्र का जन्म ऑपरेशन से हुआ, जिसका खर्च रुपये 5,000/-भी प्रार्थी क्रमांक 1 की बहन ने दिया, लेकिन प्रतिप्रार्थी ने प्रार्थी क्रमांक 1 का कोई ध्यान नहीं रखा और प्रार्थी क्रमांक 1 को शारीरिक एवं मानसिक यातनाएँ देता रहा । जब प्रार्थी क्रमांक 4 तीन-चार माह का था, तब प्रतिप्रार्थी ने प्रार्थी क्रमांक 1 को सिलाई मशीन क्रय करने के लिये उसके भाई, बहनों से रुपये लाने का कहा, तब प्रार्थी क्रमांक 1 ने मना किया और तब प्रतिप्रार्थी ने प्रार्थी क्रमांक 1 के जीजा को फोन लगाकर उसे ले जाने के लिये कहा और प्रार्थी क्रमांक 1 के साथ लकड़ी, लात, घूसों से मारपीट की, जिससे प्रार्थी क्रमांक 1 को चोटे आई, जिसकी सूचना मिलने पर प्रार्थी क्रमांक 1 की छोटी बहन लेने के लिये आई तथा प्रतिप्रार्थी से कहा कि वे प्रतिप्रार्थी को मशीन खरीदवा देंगे, तब प्रतिप्रार्थी ने कहा कि उसे रुपये दे दे, मशीन वह अपने हिसाब से खरीद लेगा । तब प्रार्थी क्रमांक 1 के भाई, बहन और जीजा ने कहा कि पूर्व में रुपये दिये थे, पर मशीन

कय ना करते हुए रुपये खर्च कर दिये हैं तो प्रतिप्रार्थी ने प्रार्थी क्रमांक 1 को कहा घर से निकाल दिया । प्रार्थीगण वर्तमान में अंजड़ में निवास कर रहे हैं तथा प्रतिप्रार्थी प्रार्थी क्रमांक 1 के भाईयों को फोन पर प्रार्थीनी के संबंध में गंदी-गंदी बातें कर प्रार्थीनी क्रमांक 1 को तेजाब से जलाने की धमकी देता है । प्रार्थीनी की तीन संतान होकर वे पढ़ाई कर रही हैं एवं अपने पिता एवं भाईयों के पास रहकर दुखी जीवन व्यतीत कर रही है । प्रार्थीनी द्वारा अपने एवं अपने बच्चों के भरण-पोषण के लिये अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिप्रार्थी को दिनांक 02.09.09 एवं दिनांक 16.09.09 को सूचना-पत्र दिये थे, जो प्रतिप्रार्थी को मिलने के पश्चात् भी प्रतिप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण के भरण-पोषण की कोई व्यवस्था नहीं की गयी । प्रार्थी क्रमांक 1 के पास अपने एवं अपने बच्चों के भरण-पोषण हेतु कोई आय का साधन नहीं है, जबकि प्रतिप्रार्थी कपड़े सिलाने का काम करता है और कुशल टेलर है, उसकी इंदौर में रेडिमेड कपड़ों की सिलाई करने से प्रतिदिन 300 से 400 रुपये की आमदनी होती है । इस प्रकार प्रतिप्रार्थी प्रार्थीगण को भरण-पोषण अदा करने में सक्षम है । प्रार्थी क्रमांक 1 द्वारा स्वयं के भरण-पोषण हेतु प्रतिप्रार्थी से रुपये 2,000/-प्रतिमाह एवं शेष प्रार्थीगण के भरण-पोषण हेतु प्रतिप्रार्थी से रुपये 1,000-1,000/-रुपये कुल 5,000/-रुपये भरण-पोषण राशि दिलाये जाने की मांग की है ।

4. प्रतिप्रार्थी की ओर से प्रार्थी क्रमांक 1 के साथ विवाह होने तथा शेष प्रार्थीगण को अपनी संतान होने के अतिरिक्त शेष समस्त तथ्यों से इन्कार किया है तथा स्पष्ट किया है कि उसके द्वारा कभी भी प्रार्थी क्रमांक 1 के साथ मारपीट नहीं की और ना ही किसी धनराशि की मांग की । उसका स्पष्ट कथन है कि प्रार्थी क्रमांक 1 स्वस्थ महिला है और सिलाई कढ़ाई करके अपना एवं अपने बच्चों का भरण-पोषण कर रही है, जबकि प्रतिप्रार्थी प्रार्थीगण को अपने पास रखने को तैयार है । प्रतिप्रार्थी के साथ उसकी 90 वर्षीय बीमार माता निवास करती है, जिनकी देखभाल करने वाला प्रतिप्रार्थी के अलावा कोई नहीं है, जिसकी देखभाल वह करता है एवं शेष समय में सिलाई का कार्य कर बड़ी मुश्किल से 70-80 रुपये प्रतिदिन आय अर्जित कर अपना व अपनी माता का भरण-पोषण करता है । विवाह के बाद से ही प्रार्थी क्रमांक 1 प्रतिप्रार्थी की माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी और छोटी-छोटी बातों पर झगड़े करती थी । प्रतिप्रार्थी एवं उसके रिश्तेदारों द्वारा प्रार्थी क्रमांक 1 को कई बार समझाने के बाद भी प्रार्थी क्रमांक 1 पर उसका कोई असर नहीं पड़ा । दिनांक 08.01.09 को प्रार्थीनी की माँ, भाभी, भाई और छोटी भाभी सब आए और प्रार्थी क्रमांक 1 के पिता की बीमारी का बताकर प्रार्थीगण को साथ में ले आए, उसके बाद से वे लोग वापस नहीं आए । प्रतिप्रार्थी ने कई बार प्रार्थीगण को अपने साथ ले जाने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था । प्रतिप्रार्थी ने प्रार्थी क्रमांक 1 के विरुद्ध परिवार न्यायालय इंदौर में हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा-9 के अंतर्गत दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना का वाद प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है तथा उस आवेदन में प्रार्थीगण को अधिनियम की धारा-24 एवं 26 के अंतर्गत प्रतिमाह रुपये 2,500/- भरण-पोषण का आदेश पारित किया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का उक्त भरण-पोषण का आवेदन प्रचलन योग्य नहीं है । प्रतिप्रार्थी ने प्रार्थीगण का आवेदन निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है ।

5. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या प्रार्थी क्रमांक 1 प्रतिप्रार्थी से पर्याप्त कारणों से पृथक निवास कर रही है ?
2	क्या प्रार्थीगण स्वयं का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं हैं ?
3	क्या प्रतिप्रार्थी एक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति होकर जानबूझकर प्रार्थीगण के भरण-पोषण करने से इन्कार कर रहा है या उपेक्षा कर रहा है ?
4	यदि हाँ तो क्या प्रार्थीगण प्रतिप्रार्थी से प्रतिमाह भरण-पोषण पाने के अधिकारी हैं ?

सकारण – निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 से 4 का निराकरण :-

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में प्रेमलताबाई (प्रा.सा.1) का कथन है कि प्रतिप्रार्थी सिलाई का काम थोक में करता है । प्रतिप्रार्थी ने विवाह के बाद साल डेढ़ साल तक उसे अच्छे से रखा था, उसके बाद उसकी पहली पुत्री अश्विनी का जन्म हुआ, तब प्रतिप्रार्थी ने कहा कि पुत्री का गला घोटकर मार देगा । प्रतिप्रार्थी उसके साथ शराब पीकर मारपीट करता था और उसे घर से बाहर निकाल देता था । प्रतिप्रार्थी ने उससे कई बार रुपये मांगे थे, जो उसके जीजा ने दिये थे, प्रतिप्रार्थी उस पैसे से शराब पी लेता था और सट्टा खेलता था । विवाह के 5 वर्ष पश्चात् उसे दूसरी पुत्री का जन्म हुआ, तब भी प्रतिप्रार्थी ने उसके साथ गाली-गालौज और मारपीट की थी तथा पुत्री को जहर का इंजेक्शन लगाने का कहा था । प्रतिप्रार्थी उसके साथ एवं पुत्रियों के साथ भी मारपीट करता था । प्रतिप्रार्थी ने एक बार उसकी पुत्री को कैंची मार दी थी । वह प्रतिप्रार्थी द्वारा की गयी मारपीट सहन करती रही, फिर उसके बाद उसे प्रतिप्रार्थी द्वारा पुत्र अंशुमन का जन्म हुआ था, जो ऑपरेशन से हुआ था, जिसका समस्त खर्च उसके भाई निलेश एवं राजेन्द्र पाल ने दिया था । उसके पश्चात् प्रतिप्रार्थी ने उसके जीजा दिनेश पाल से 50 हजार रुपये लाने का कहा था, उसके द्वारा रुपये लाने से मना करने पर उसके पति ने उसके साथ ऑपरेशन की अवस्था में भी मारपीट की थी और उसे घर से निकाल दिया था, मारपीट से उसे पेट, कमर और पीठ में चोटें आयी थी । उसके बाद प्रतिप्रार्थी ने उसके जीजा को फोन लगाकर उसे ले जाने के लिये कहा था और यह भी धमकी दी थी कि उसे नहीं यदि उसे नहीं ले जाते तो उसे तेजाब डालकर मार देगा, फिर उसके माता-पिता, छोटी बहन एवं उसका भाई उसे ससुराल से मायके ले आए थे । वह प्रतिप्रार्थी के कहने के कारण मायके आयी थी, अपनी मर्जी से नहीं आई थी । प्रतिप्रार्थी उसके बाद भी उसे फोन करके परेशान करता था तथा फोन पर गंदी-गंदी गालियां देता था ।

7. प्रार्थी का यह भी कथन है कि उसकी बड़ी पुत्री अश्विनी कक्षा 9 वीं में पढ़ती है और उसकी पढ़ाई में लगभग एक हजार रुपये प्रतिमाह खर्च होता है । उसकी दूसरी पुत्री दामिनी कक्षा 4थी में पढ़ती है, उसे भी लगभग एक हजार रुपये प्रतिमाह का खर्च लगता है । उसका तीसरा पुत्र अंशुमन के.जी. 2 में पढ़ता है, उसकी पढ़ाई एवं दवाईयों में एक हजार रुपये से अधिक का खर्च लगता है, क्योंकि वह अस्वस्थ रहता है । उसकी पुत्रियां एवं पुत्र वर्तमान में उसके साथ मायके में निवास कर रहे हैं । उसे अपने स्वयं के भरण-पोषण हेतु दो-ढाई हजार रुपये प्रतिमाह का खर्च लगता है । वह अपना एवं अपने बच्चों का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है ।

वर्तमान में उसका एवं उसके बच्चों का भरण-पोषण उसके माता-पिता एवं भाई करते हैं। उसके माता-पिता उसके बच्चों का भरण-पोषण नहीं कर पा रहे हैं। प्रतिप्राथी उसे 5,000/-रूपये प्रतिमाह भरण-पोषण राशि अदा करने में सक्षम है। प्रतिप्राथी प्रतिमाह रुपये 10 से 15 हजार की आय अर्जित करता है। उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिप्राथी को भरण-पोषण की राशि अदा करने के लिए सूचना-पत्र दिया था, उसके बाद भी प्रतिप्राथी ने उसे कोई भी राशि अदा नहीं की है, प्रतिप्राथी द्वारा भरण-पोषण अदा नहीं किया जा रहा है, इसलिए वह दुखी जीवन व्यतीत कर रही है। वह कोई काम-धंधा नहीं जानती है। प्राथी ने प्रतिप्राथी को भेजा गया सूचना-पत्र का वापसी लिफाफा प्र.पी.1, दूसरे सूचना-पत्र की पोस्टल रसीद प्र.पी.2, प्राप्ति अभिस्वीकृति प्र.पी.3 प्रमाणित करायी है।

8. प्रतिप्राथी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में प्राथी ने स्वीकार किया है कि वह कक्षा 10 वीं तक पढ़ी है। विवाह उपरांत प्रतिप्राथी के साथ लगभग 11 वर्ष तक रही और उक्त अवधि में प्रत्येक वर्ष में 2 बार अपने मायके आती थी। उसकी दोनों पुत्रियों का जन्म मायके में हुआ था, जबकि पुत्र का जन्म इंदौर में प्रेम कुमारी अस्पताल में हुआ था। प्राथी ने स्वीकार किया कि प्रतिप्राथी द्वारा उसके साथ मारपीट की घटना के संबंध में उसने अपने माता-पिता को बताया था, लेकिन पुलिस को कोई रिपोर्ट नहीं की थी, क्योंकि उसने अपना परिवार बचाने के लिये प्रतिप्राथी के विरुद्ध कोई रिपोर्ट नहीं की थी। प्राथी ने स्वीकार किया कि उसने प्रतिप्राथी द्वारा अंतिम बार ऑपरेशन के समय की गयी मारपीट की रिपोर्ट थाना छतरीपुरा, इंदौर में की थी, जो घर पर रखी हुई है। प्राथी ने स्वीकार किया कि उसने प्रतिप्राथी द्वारा बार-बार फोन पर परेशान करने के संबंध में थाने में रिपोर्ट नहीं की थी। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि प्रतिप्राथी की बहन एवं भाई उसे लेने आए थे। प्राथी ने स्वीकार किया कि प्रतिप्राथी ने इंदौर के न्यायालय में वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना का प्रकरण लगाया है, जिसमें वह उपस्थित हुई थी। यह भी स्वीकार किया है कि उक्त प्रकरण में अपने उत्तर में उसने प्रतिप्राथी के साथ नहीं रहने के संबंध में कहा था। प्राथी ने स्वीकार किया कि उसने अपने तीनों बच्चों के जन्म प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये हैं। प्राथी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने तीनों संतानों की पढ़ाई के संबंध में विद्यालय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। प्राथी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह जब से मायके आई है, तब से उसकी तीनों संतानें उसके पास ही हैं। यह भी स्वीकार किया है कि 4 वर्षों से उसके माता-पिता उसकी संतानों एवं उसका भरण-पोषण कर रहे हैं, लेकिन प्राथी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि वह सिलाई कढ़ाई करके अपना एवं अपने बच्चों का भरण-पोषण करती है। प्राथी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया कि वह प्रतिमाह 15 हजार रुपये कमा लेती है। प्राथी ने स्वीकार किया कि प्रतिप्राथी की माता उसके साथ रहती है, लेकिन इस सुझाव से इन्कार किया कि उसकी माता के ईलाज का खर्च प्रतिप्राथी उठाता है, प्राथी ने स्पष्ट किया कि उसकी सास को पेंशन मिलती है, जिससे वह अपना ईलाज एवं खर्च चलाती है। प्राथी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि प्रतिप्राथी बेरोजगार है अथवा वह शराब नहीं पीता है अथवा उसे भरण-पोषण की आवश्यकता नहीं है।

9. साक्षी दिलीप पाल (प्रा.सा.2) ने भी प्रतिप्राथी द्वारा टेलरिंग का व्यवसाय करके प्रतिदिन एक हजार से बारह सौ रुपये कमाने और प्रतिप्राथी द्वारा

प्रार्थीगण के साथ मारपीट, झगड़ा करने के संबंध में स्पष्ट कथन किये हैं । साक्षी का यह भी कथन है कि प्रार्थी क्रमांक 1 पहली पुत्री का जन्म होने के बाद प्रतिप्रार्थी ने उनसे झगड़ा किया था और कहा था कि उसे बेटी नहीं चाहिए तथा प्रार्थी क्रमांक 3 का जन्म होने के बाद भी प्रतिप्रार्थी ने प्रार्थी क्रमांक 1 से झगड़ा किया था, उसके बाद प्रार्थी क्रमांक 4 का जन्म इंदौर में हुआ था । साक्षी का यह भी कथन है कि प्रतिप्रार्थी सिलाई की दुकान खोलने के लिये पैसों की मांग करता था और उन्होंने प्रतिप्रार्थी को 15-15 हजार रुपये दिये थे, लेकिन प्रतिप्रार्थी ने उससे सिलाई मशीन नहीं खरीदी तथा पैसे शराब पीने एवं जुआ, सट्टे में खत्म कर दिये । प्रतिप्रार्थी ने फिर उनसे मशीन खरीदने के लिये पैसों की मांग की थी तो उसने कहा था कि वे मशीन लाकर दे देंगे, लेकिन प्रतिप्रार्थी ने नगद पैसों की मांग की, फिर उसने मशीन खरीदने के लिये नगद पैसे नहीं दिये तो प्रतिप्रार्थी ने उसकी बहन को जलती हुई लकड़ी से मारा और प्रार्थी से उनकी बातचीत बंद करा दी । वह उसकी बहन तथा उसका जीजा प्रार्थी को देखने के लिये गये थे तो उसकी बहन और जीजा ने जाकर देखा कि प्रार्थी के शरीर पर जली हुई लकड़ी से मारने के निशान थे और आस-पड़ोस के लोगों ने बताया कि प्रतिप्रार्थी प्रार्थी क्रमांक 1 के साथ मारपीट करता है और वह लोग प्रार्थीगण को ले जाए । उन्होंने प्रतिप्रार्थी को समझाने का प्रयास किया था तो प्रतिप्रार्थी उनके साथ झगड़ा करने लगा था, तब वह प्रार्थीगण को अपने साथ ले आए और पिछले 5 वर्षों से प्रार्थीगण उसके साथ निवास कर रहे हैं । प्रार्थी क्रमांक 1 आठवीं तक पढ़ी-लिखी है, वह ऐसा कोई काम नहीं जानती है, जिससे वह अपना भरण-पोषण कर सके । प्रार्थी क्रमांक 1 के तीनों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं । प्रार्थी क्रमांक 1 अपना एवं अपने बच्चों का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है । साक्षी का यह भी कथन है कि वे लोग प्रार्थीगण का खर्च मुश्किल से उठा पा रहे हैं । प्रतिप्रार्थी इंदौर में सिलाई का व्यवसाय करता है और प्रतिदिन उसे 2,000/-रुपये की आमदनी होती है एवं प्रतिप्रार्थी प्रार्थीगण का भरण-पोषण करने में सक्षम है ।

10. प्रतिप्रार्थी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसकी बहन शादी के बाद अंजड़ मिलने आती थी और वह भी अपनी बहन से मिलने इंदौर जाता था । उसकी बहन ने उस समय भी प्रतिप्रार्थी के व्यवहार के संबंध में बताया था, लेकिन उसने घटना की रिपोर्ट नहीं की थी । साक्षी ने स्वीकार किया कि उसकी फोटोकॉपी की दुकान है और उसके भाई की मोबाईल की दुकान है । साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रतिप्रार्थी ने उसकी बहन के विरुद्ध परिवार न्यायालय इंदौर में हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा-9 के अंतर्गत प्रकरण लगाया है, लेकिन इस प्रकरण में उसकी बहन के कोई कथन नहीं हुए हैं । साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि प्रतिप्रार्थी का सिलाई का व्यवसाय पिछले 2-3 वर्षों से बंद है । साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रतिप्रार्थी की माता की मृत्यु 10 वर्ष पहले हो गयी है, लेकिन इस सुझाव से इन्कार किया कि अपनी माता की मृत्यु के बाद प्रतिप्रार्थी ने सिलाई का काम बंद कर दिया है । इस सुझाव से इन्कार किया है कि प्रतिप्रार्थी प्रतिदिन दो-तीन हजार रुपये नहीं कमाता है । इस सुझाव से इन्कार किया है कि प्रार्थी क्रमांक 1 सिलाई कढ़ाई करके प्रतिदिन 1,000/-रुपये कमा कर अपने एवं अपने बच्चों का भरण-पोषण कर रही है ।

11. साक्षी कु. अश्विनी पाल (प्रा.सा.3) का कथन है कि प्रतिप्रार्थी उसके पिता हैं तथा प्रार्थी क्रमांक 3 उसकी छोटी बहन और प्रार्थी क्रमांक 4 उसका छोटा भाई है । वे जब अपने पिता के साथ इंदौर में रहते थे, तब प्रतिप्रार्थी शराब पीकर और

सिगरेट पीकर उसकी माँ के साथ मारपीट करता था और यह भी कहता था कि उसकी माँ अपनी बहन एवं मामा के यहां से पैसे लेकर आए । साक्षी का यह भी कथन है कि प्रतिप्रार्थी सिलाई का काम करता है । प्रतिप्रार्थी का प्रार्थी क्रमांक 1 के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था तथा वह जब छोटी थी तो प्रतिप्रार्थी ने उसे कैंची मारी थी, जो उसके पेट में लगी थी, इस कारण वह डर के कारण अपने मामा के यहां अंजड़ में रहती है । उसका एवं उसकी माँ का खर्च उसके मामा करते हैं । उसकी स्कूल की फीस सालभर की रुपये 15,000/- लगती है ।

12. प्रतिप्रार्थी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसकी पढ़ाई एवं खाने-पीने का सारा खर्च मामा करते हैं, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसकी माँ सिलाई एवं अन्य कार्य बाहर जाकर करती है । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि इंदौर में रहने का उसका सारा खर्च उसके पिता उठाते थे, साक्षी ने स्पष्ट किया कि पिताजी के साथ उसकी माता भी काम करती थी, उसके पिताजी उसकी माँ से उसके मामा एवं मौसियों से पैसे मांगते थे । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके पिता उसकी माँ के साथ इंदौर में रहने के दौरान बिना कारण मारपीट करते थे, शराब एवं सिगरेट पीते थे (साक्षी से पूछा गया उक्त प्रश्न प्रतिप्रार्थी की ओर से स्वीकारोक्ति की श्रेणी में आता है) साक्षी ने स्वीकार किया कि उसे याद नहीं कि उसकी माँ ने कभी थाने में रिपोर्ट की थी या नहीं । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि उसके पिताजी उसकी माँ को ले जाना चाहते हैं, लेकिन उसकी माँ जाने के लिये तैयार नहीं है । साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया कि उसके पिताजी इंदौर में कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन स्पष्ट किया कि उसके पिताजी सिलाई का काम करते हैं ।

13. प्रतिप्रार्थी का बचाव का अधिकार दिनांक 13.02.15 को समाप्त किये जाने के कारण प्रार्थीगण की उक्त साक्ष्य का कोई खंडन नहीं हुआ है एवं प्रतिप्रार्थी की ओर से कोई भी साक्ष्य अपने समर्थन में प्रस्तुत नहीं की गयी है, जबकि इस न्यायालय द्वारा उक्त आदेश दिनांक 13.02.15 को यह आदेश इस शर्त के साथ दिया गया था कि प्रतिप्रार्थी यदि प्रार्थीगण को बकाया भरण-पोषण राशि अदा नहीं करता है तो उसकी साक्ष्य प्रस्तुति एवं बचाव का अधिकार समाप्त किया जाएगा । उक्त आदेश के बाद भी प्रतिप्रार्थी की ओर से प्रार्थीगण की बकाया भरण-पोषण की कोई राशि न्यायालय में जमा नहीं करायी गयी है, ना ही उक्त आदेश के विरुद्ध वरिष्ठ न्यायालय का कोई आदेश अथवा स्थगन आदेश न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है ।

14. इस प्रकार प्रार्थी एवं उसके साक्षियों ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि प्रतिप्रार्थी द्वारा मारपीट एवं बुरे व्यवहार के कारण वर्तमान में प्रार्थीगण प्रतिप्रार्थी से पृथक रह रहे हैं एवं प्रतिप्रार्थी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में प्रार्थीगण की उक्त साक्ष्य का भी कोई खंडन नहीं हुआ है । साक्षी कु. अश्विनी पाल जो कि प्रार्थी क्रमांक 1 एवं प्रतिप्रार्थी की पुत्री है, ने भी प्रार्थी क्रमांक 1 के कथनों का समर्थन करते हुए उसके पिता द्वारा प्रार्थी क्रमांक 1 के साथ शराब पीकर मारपीट करना, पैसे की मांग करना, यहां तक कि उसके स्वयं के साथ पेट में कैंची से मारपीट करने के संबंध में स्पष्ट कथन किये हैं, जिसका कोई भी खंडन प्रतिप्रार्थी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं है । इस साक्षी का यहां तक कथन है कि उसी डर के कारण वह

अंजड़ में अपने मामा के साथ निवास करती है । इस साक्षी ने भी अपने पिता द्वारा सिलाई का काम करने के संबंध में स्पष्ट कथन किया है, यद्यपि प्रार्थी एवं उसके साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्रार्थीगण का भरण-पोषण प्रार्थी क्रमांक 1 के माता-पिता तथा भाई द्वारा किया जाता है, लेकिन प्रतिप्रार्थी जो कि प्रार्थीगण का भरण-पोषण करने के लिये दायित्वाधीन है और उसके द्वारा ही प्रार्थीगण का भरण-पोषण नहीं किया जाता है तो प्रार्थी क्रमांक 1 के माता-पिता एवं भाई द्वारा भरण-पोषण किये जाने से प्रतिप्रार्थी का अपनी पत्नी एवं संतानों का भरण-पोषण करने का दायित्व समाप्त नहीं होता है ।

15. प्रतिप्रार्थी ने अपने स्वयं की आय का कोई साधन नहीं होने तथा उसकी सिलाई की दुकान बंद होने के संबंध में प्रार्थीगण को सुझाव अवश्य दिये गये हैं, लेकिन इस संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज या अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जिससे प्रार्थीगण की उक्त साक्ष्य का कोई खंडन हो कि प्रतिप्रार्थी की स्वयं की आय का कोई साधन नहीं है । प्रतिप्रार्थी द्वारा प्रार्थी क्रमांक 1 के साथ मारपीट एवं प्रताड़ना किये जाने एवं अवैध रूप से धनराशि की मांग किये जाने के कारण प्रार्थी क्रमांक 1 वर्तमान में प्रतिप्रार्थी से पृथक निवास कर रही है जो कि प्रार्थी क्रमांक 1 का प्रतिप्रार्थी से पृथक निवास करने का पर्याप्त एवं उचित कारण प्रतीत होता है । यहां तक कि प्रार्थी क्रमांक 1 का यह भी कथन है कि प्रतिप्रार्थी ने उसे धमकी दी थी कि यदि उसका भाई उसे लेकर नहीं गया तो उसे तेजाब डालकर मार देगा । प्रार्थी का उक्त कथन भी प्रतिप्रार्थी से उसके पृथक निवास करने का पर्याप्त एवं उचित कारण है ।

16. यद्यपि प्रतिप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने तर्क में यह कथन किया गया है कि प्रार्थीगण को माननीय प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय इंदौर के आदेशानुसार अंतरिम भरण-पोषण के रूप में 2,500/-रुपये प्रतिमाह की धनराशि प्राप्त हो रही है, लेकिन प्रतिप्रार्थी की ओर से ऐसी कोई रसीद या न्यायालय में उक्त धनराशि जमा किये जाने के संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । प्रतिप्रार्थी की ओर से उक्त न्यायालय में लंबित प्रकरण की आदेश पत्रिकाओं की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें प्रार्थीगण के पक्ष में अंतरिम भरण-पोषण का उक्त आदेश पारित किया गया है, लेकिन प्रार्थीगण की ओर से इसी प्रकरण क्रमांक 460/09 की आदेश पत्रिका दिनांक 11.08.10 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है, जिसके अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रतिप्रार्थी की अनुपस्थिति के कारण उसके द्वारा अपनी पत्नी के विरुद्ध कुटुम्ब न्यायालय इंदौर में हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा-9 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण निरस्त कर दिया गया है । ऐसी स्थिति में उक्त आदेश भी अब अस्तित्व में नहीं है तथा प्रतिप्रार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार करने योग्य प्रतीत नहीं होता है कि चूंकि प्रार्थीगण को परिवार न्यायालय इंदौर से अंतरिम भरण-पोषण के रूप में प्रतिमाह 2,500/-रुपये भरण-पोषण की राशि प्राप्त हो रही है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण इस न्यायालय से द.प्र.सं. की धारा-125 के अंतर्गत भरण-पोषण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं ।

17. इस प्रकार प्रार्थीगण की साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि प्रार्थी क्रमांक 1 प्रतिप्रार्थी द्वारा की गयी मारपीट एवं प्रताड़ना के कारण प्रतिप्रार्थी से पृथक निवास कर रही है । प्रार्थीगण यह भी प्रमाणित करने में सफल रहे हैं कि प्रार्थी क्रमांक 1 स्वयं का एवं अपनी तीनों संतानों का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है, फिर भी प्रतिप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण का भरण-पोषण नहीं किया जा रहा है, जबकि प्रतिप्रार्थी सिलाई का काम करता है और वह प्रार्थीगण का भरण-पोषण करने में सक्षम है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का भरण-पोषण का आवेदन अंतर्गत धारा-125 द.प्र.सं. का स्वीकार करने योग्य

प्रतीत होता है, अतः प्रार्थीगण का उक्त आवेदन स्वीकार करते हुए प्रतिप्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थी क्रमांक 1 को प्रतिमाह 2,000/—रुपये (अक्षरी दो हजार रुपये) एवं शेष प्रार्थीगण को प्रतिमाह 1,000—1,000/—रुपये (अक्षरी एक—एक हजार रुपये) कुल 5,000/—रुपये (अक्षरी पांच हजार रुपये) भरण—पोषण के रूप में अदा करे या न्यायालय में जमा कराये ।

18. उक्त आदेश प्रार्थी क्रमांक 2 एवं 3 के विवाह होने तथा प्रार्थी क्रमांक 4 के वयस्क होने तक प्रभावशील रहेगा । चूंकि प्रार्थी क्रमांक 2 से 4 अवयस्क होकर प्रार्थी क्रमांक 1 के साथ निवास कर रहे हैं, अतः उनके लिये उक्त भरण—पोषण की धनराशि प्रार्थी क्रमांक 1 प्राप्त करने की अधिकारी रहेगी ।

19. प्रतिप्रार्थी ने इस प्रकरण में कोई भी अंतरिम राशि आज दिनांक तक प्रार्थीगण को अदा नहीं की गयी है, अतः यह भी आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण उक्त भरण—पोषण की राशि प्रतिमाह रुपये 5,000/— आवेदन प्रस्तुति दिनांक 02.12.09 से प्राप्त करने के अधिकारी हैं । प्रार्थीगण के उक्त आवेदन का व्यय रुपये 1,000/—रुपये निर्धारित किया जाता है, जो प्रतिप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण को अदा किया जाए ।

20. आदेश की प्रतिलिपि प्रार्थीगण को निःशुल्क दी जाए ।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर पारित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित ।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला—बड़वानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला—बड़वानी, म.प्र.